न्यायालय में –श्रीमान अध्यक्ष महोदय,राजस्व मंडल ग्वालियर,म.प्र.
कैम्पः– रीवा,संभाग रीवा म.प्र.

955

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

III/निगरानी/शहडोल/भू.रा/2017/3999

1 सौरभ सिंह वल्द स्व. भगवान सिंह क्षत्रिय,निवासी भूपतिभवन बुढार, तहसील–बुढार,जिला–शहडोल म.प्र
2 देवेन्द्र कुमार आत्मज स्व० वीर चन्द्र जैन निवासी वार्ड न०1–धनपुरी तहसील बुढ़ार जिला – शहडोल (म०प्र०) --निगरानीकर्तागण

बनाम

1. केशव प्रसाद राय,
2. अरूण कुमार राय
3. तनेश्वर राय,

तीनों वल्द परमसुखराय,सभी निवासी ग्राम धनपुरी वार्ड नंबर 1,तहसील बुढार, जिला–शहडोल म.प्र.
------------------------------------- उत्तरदातागण

09 OCT 2017
कलेक्टर

श्रीमान, राजस्व निरीक्षक मंडल धनपुरी तहसील बुढार जिला–शहडोल म.प्र.द्वारा-केशव प्रसाद वगैरह बनाम म.प्र.शासन,राजस्व प्रकरण कमांक 36/अ–12/2016–17,में पारित आदेश दिनांक 17.8. 2017 के विरूद्व निगरानी। अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-रा०सं.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आराजी खसरा नंबर 1123/1,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164/2,1165,1166,1167, 1168एवं 1169 कुल 15 किता स्थित ग्राम विकमपुर,प.ह.विकमपुर,कं.19,रा.नि.मं.धनपुरी तहसील बुढार जिला–शहडोल म.प्र. के सीमांकन बावत एक आवेदन पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता कं.1 केशवराय द्वारा दिनांक 22.3.2017 को प्रस्तुत किया गया,जिसपर दिनांक 6.5.2017 व 22.5.2017 एवं 22.6.2017 को राजस्व निरीक्षक धनपुरी द्वारा पंचनामा तैयार किया गया,लेकिन पंचनामा दिनांक को राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की कोई सीमांकन संबंधी कार्यवाही नही की गई और सूचना दिनांक से पृथक तिथि में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके से जाकर भूमि का मनमाना व अवैध तरीके से सीमांकन किया और माननीय अधीनस्थ न्यायालयके समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया,किसी राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कोई कार्यवाही नही की गई और हल्का पटवारी द्वारा मनमाने तरीके से किये गये सीमांकन के संबंध में निगरानीकर्तागण द्वारा राजस्व निरीक्षक को आपत्ति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/3999 सौरभ विरूद्ध केशवप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल धनपुरी तहसील बुढ़ार के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी बुढ़ार को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी बुढ़ार के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (3) (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	